

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- १२९२/ FP/UK/ROAD/39247/2019 देहरादून: दिनांक: ५ मार्च, 2021

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-अल्मोड़ा में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 905/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईड़ा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार का नव निर्माण हेतु 0.9675 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/39247/2019)

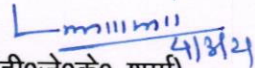
महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.9675 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट-II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 3 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,


(डी0जे0के0 शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक

कार्या0-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/ROAD/39247/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद-अल्मोड़ा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

(डी0जे0के0 शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक

कार्या0-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

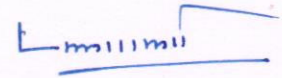
परियोजना का नाम:— जनपद—अल्मोड़ा में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 905/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईडा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार का नव निर्माण हेतु 0.9675 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/39247/2019)

जनपद—अल्मोड़ा में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 905/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईडा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार का नव निर्माण हेतु 0.9675 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 0.9675 हे0 आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद—अल्मोड़ा/ प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट—II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 3 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनाम:
हस्ताक्षर:



(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सरकारी मोहर:

D. J. K. SHARMA
Principal Chief Conservator
of Forest Uttarakhand

तिथि : 04/03/2021

स्थान : देहरादून